कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद परिक्षेत्र

पत्रांक: भ-24/सीएफओ-स्कूल/एमडीडी-09(जे0पी0नगर) दिनांक:अक्टूबर 20 ,2009

सेवा में,

बेसिक शिक्षा अधिकारी
जे0पी0नगर।

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या: 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक: 13-4-2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालिजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में सचिव उ0प्र0 शासन, शिक्षा(7) अनुभाग का शासनादेश संख्या: 1801/ 15-7- 09-1 (124)/2009 दिनांक: 20-7-2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या।

सन्दर्भ: 1-सचिव उ0प्र0 शासन, शिक्षा(7) अनुभाग का शासनादेश संख्या: 1801/15-7- 09-1 (124)/2009 दिनांक: 20-7-2009

2-प्रबन्धक ,पाइनवुड स्कूल बिजनौर रोड ,अमरोहा ,जनपद जे0पी0नगर के पत्र दिनांकित 06-10-09 के ,द्वारा अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संलग्न /निम्नांकित प्रारूप एवं मानचित्र के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निम्नानुसार पायी गयी:-

1-(क) पहुंच मार्ग:- 06.00 मीटर चौडाई का मार्ग उपलब्ध है ।

(ख) प्रवेश मार्ग:-4.00 मीटर उपलब्ध है।, वर्ष- 2005 से पूर्व निर्मित भवन होने के कारण निर्मित स्थल पर मानचित्र स्वीकृति की किसी प्रकार की बाध्यता न होने के कारण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, सचिव गृह के शासनादेश संख्या: 2688/छ-पु0-08-2008 दिनांक: 20-11-2008 के तहत छूट अनुमन्य है।

2- अग्निशमन कार्य हेतु पानी की स्थायी टंकी भूमिगत/टैरिस टैंक-टैरेस टैक क्षमता-4000 लीटर मय पम्प के साथ उपलब्ध है ।

3- स्वचालित स्प्रिंकलर व्यवस्था :- वांछित नही है।

4- फर्स्ट एड हौज रील :- वान्छित नही है ।

5- कम्पार्टमैन्टेशन - वांछित नही है।

6- आई0एस0आई0 अग्निशामक :- आई0एस0- 2190 के अनुसार स्थापित किये गये है जिनके आई0एस0आई0 मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गयें है।

7- स्वचालित अग्नि संसूचक व चेतावनी पद्धति :- वांछित नही है।

8- निकास मार्ग प्रदीप्त संकेत चिन्ह - नियमानुसार स्थापित किये गये हैं।

9-विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत - उपलब्ध है।

10- फायर मैन स्विच, फायर लिफ्ट- वांछित नही है।

11- वेट राइजर /डाउन कमर सिस्टम- वांछित नही है।

12- सैट बैक- अग्रभाग- अमरोहा बिजनौर रोड हाईवे।

पार्श्व 1- 04.50 मीटर ।
पार्श्व2- 04.50 ,,
पृष्ठ - 06.00 ,,

..................2........

चूंकि भवन वर्ष– 2005 से निर्मित व अध्यासित है एवं तत्सम्बन्धी शपथ पत्र व वर्ष 2005 से स्कूल की मान्यता व निर्माण के वर्ष –2005 से प्रमाणीकरण सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं व प्रस्तुत किये गये नक्शे में निर्माण को, वर्ष–200?5 से ही उपलब्ध होने का प्रमाण पत्र. प्रस्तुत किया गया है। अतः सचिव गृह के शासनादेश संख्याः 2688/छ–पु0–08–2008 दिनांकः 20–11–2008 के अनुसार दिनांकः 08–9–2006 से पूर्व निर्मित भवनों मे सैट बैक में छूट अनुमन्य है।

13– निकास मार्ग की आवश्यकतायें एवं बचाव मार्ग – मानक के अनुसार निर्धारित चौड़ाई व क्षमता के उपलब्ध है,।

14– फायर ड्रिल :– प्रबन्धकों द्वारा नियमानुसार करायी जा रही है।

15– अग्निशमन पद्धति का अनुशरण – नियमानुसार कराया गया है।

16– अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिये स्टाफ/प्रशिक्षण – स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाया गया है।

17– निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल की संख्याः नियमानुसार कराये जाने हेतु प्लान बनाया गया है।

18– सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा – नियमानुसार कराया जायेगा।

नोटः– प्रबन्धक, द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक:06–10–2009 के अनुसार स्कूल/कॉलिज विकास प्राधिकरण , नगर पालिका ,टाउन एरिया, विनियमित क्षेत्र की परिधि से बाहर स्थित है। स्कूल वर्ष 2005 से कार्यरत है तथा भवन का निर्माण वर्ष–2005सहायक अभियन्ता प्रथम प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अमरोहा जनपद– जे0पी0नगर द्वारा प्रमाणित किया गया है। दिनांकः 08–9–2006 से पूर्व निर्मित होने के कारण उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सैट बैक/पहुँच मार्ग/ निकास मार्ग में छूट अनुमन्य है। किसी नियम/ अधिनियम के तहत मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य नही है। न ही शिक्षा विभाग द्वारा इस अनिवार्यता के सम्बन्ध में कभी बताया गया है ,ऐसी स्थिति में यह स्कूल भवन, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर 3:11:3:1 विद्यमान भवन बिन्दु संख्याः 03 के सम्बन्ध में सचिव गृह के शासनादेश संख्याः 2688/छ–पु0–08–2008 दिनांकः 20–11–2008 के द्वारा पहुंच मार्ग, सैट बैक , निकास मार्ग में प्रदत्त छूट की परिधि में आता है ।

विशेष उल्लेखनीय है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया –2005 के पार्ट –2 के प्रस्तर 3.8 में विद्यमान भवनों हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप प्रश्नगत भवन में अधिवासियों के आकस्मिक निकास व अग्निशमन सम्बन्धी व्यवस्थाओं को एन0बी0सी0 मानक में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया:–

1– वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

2– वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष इस प्रकार का प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था/उपकरण संतोषजनक व कार्यशील दशा में हैं।

3– स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैक , फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।

4– स्कूल में भोजन/मिड–डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा।

5– उपरोक्त प्रतिबन्धों के उलंघन पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

..................3 ......

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये प्रावधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप दिनांक: 10–10–2009 को पाइनवुड स्कूल,बिजनौर रोड अमरोहा जनपद– जे0पी0नगर का निरीक्षण संलग्न/उपरोक्तानुसार प्रारूप एवं मानचित्रों के अनुसार किया गया ।

संलग्न /उपरोक्तानुसार प्रारूप एवं संलग्न मानचित्रों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था उपरोक्तानुसार पायी गयी, अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार,
मानचित्र 01 वर्क

(अमन शर्मा) 29/X
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद परिक्षेत्र।

प्रतिलिपिः अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र–अमरोहा जनपद– जे0पी0नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2– प्रबन्धक पाइनवुड स्कूल बिजनौर रोड अमरोहा जनपद–जे0पी0नगर को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।